

क्रमांक:-एसएमजे-120/2012-13 (बड) आरडीडी-IV - 14784-14795
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

प्रेषक

निदेशक
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक:- शिमला-171009

// सितम्बर, 2026

विषय:

परिवारों की पहचान की प्रक्रिया को "मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना" से जोड़ने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या ग्रावि-एफ(4)-2/2024 दिनांक 11.09.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि उनके कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या ग्रावि-एफ(4)-2/2024 दिनांक 19.03.2025, उसके बाद समय-समय पर जारी पत्रों तथा अंतिम चरण के संबंध में जारी पत्र दिनांक 21.08.2026 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि राज्य मंत्रिमंडल ने निम्न निर्णय लिया है।

1. पत्र संख्या ग्रा0वि0-एफ (4)-2/2024 दिनांक 19.3.2025 से शुरू की गई परिवारों की पहचान की पूरी प्रक्रिया को अब बीपीएल परिवारों के चयन अथवा बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। इस प्रक्रिया के आधार पर किसी परिवार का नाम अपने-आप बीपीएल सूची में शामिल नहीं होगा और न ही सूची से हटाया जाएगा। वर्तमान बीपीएल सूची में पहले से शामिल परिवारों की स्थिति यथावत रहेगी। भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने अथवा सूची से हटाने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा उन विभागीय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा, जो पत्र दिनांक 19.03.2025 जारी होने से पहले लागू थे।
2. इस प्रक्रिया के पहले चरण से आठवें चरण तक चिह्नित परिवारों तथा पत्र संख्या ग्रा0वि0-एफ (4)-2/2024 दिनांक 21.08.2026 के अनुसार चल रहे अंतिम चरण में चिह्नित किए जाने वाले पात्र परिवारों को राज्य सरकार की "मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना" के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इन परिवारों का तय प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए परिवारों का विवरण योजना के लाभार्थी डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। उन्हें योजना का लाभ निर्धारित पात्रता शर्तों और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

3. पत्र संख्या ग्रा0वि0-एफ (4)-2/2024 दिनांक 19.03.2025 तथा उसके बाद जारी सभी पत्रों और निर्देशों को इस निर्णय के अनुसार संशोधित समझा जाए। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बीपीएल परिवारों के चयन अथवा बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया न बताया जाए।

भवदीय,



निदेशक

ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

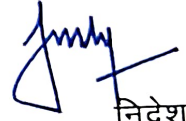
14796-14985

दिनांक:- 11-09-2026

पृष्ठांकन संख्या:- उपरोक्त

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।



निदेशक

ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9